

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कोरबा (छत्तीसगढ़)

// प्रेस विज्ञप्ति //

क्रमांक / 543 / स्था. / जि. निर्वा. / 2023

कोरबा, दिनांक 17/05/2023

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़ रायपुर का पत्र क्रमांक 241/स्था./वि.स.नि./2023/1649 रायपुर दिनांक 11 मई 2023 के द्वारा जिले के निर्वाचन कार्यालय हेतु सहायक ग्रेड-03 (संविदा के 05 पद एवं निर्वाचन कार्यालय विधानसभा क्षेत्रों के अनुविभागीय अधिकारी (रिटर्निंग ऑफिसर) में भृत्य (कलेक्टर दर) के 06 पद पर अर्थात् कुल 11 पदों पर माह 01.06.2023 से 30.11.2023 तक कुल 06 माह के लिए भरे जाने हेतु स्वीकृति प्रदान किये जाने के फलस्वरूप कोरबा जिला के आरक्षण रोस्टर अनुसार रोजगार कार्यालय के माध्यम से पंजीकृत अभ्यर्थियों के शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त मेरिट एवं कौशल परीक्षा के माध्यम से भर्ती की कार्यवाही किया जाना है जिसकी प्रक्रिया/शर्तें एवं नियम निम्नानुसार है:-

1. सहायक ग्रेड 03 (संविदा) :- दिनांक 01.06.2023 से 30.11.2023 तक (छः माह) के लिए

क्रमांक	श्रेणी/वर्ग	श्रेणी/वर्गवार पद संख्या				योग
		मुक्त	महिला	निःशक्तजन	भूतपूर्व सैनिक	
1.	अनारक्षित	02	—	—	—	02
2.	अनु.जाति	—	—	—	—	00
3.	अनु.जन.जाति	02	—	—	—	02
4.	अन्य पि.वर्ग	01	—	—	—	01
	योग	05	—	—	—	05

2. भृत्य (कलेक्टर दर) :- दिनांक 01.06.2023 से 30.11.2023 तक (छः माह) के लिए

क्रमांक	श्रेणी/वर्ग	श्रेणी/वर्गवार पद संख्या				योग
		मुक्त	महिला	निःशक्तजन	भूतपूर्व सैनिक	
1.	अनारक्षित	02	—	—	—	02
2.	अनु.जाति	01	—	—	—	01
3.	अनु.जन.जाति	02	—	—	—	02
4.	अन्य पि.वर्ग	01	—	—	—	01
	योग	06	—	—	—	06

आयु:- 01.01.2023 की स्थिति में न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष होनी चाहिए। अधिकतम आयु सीमा के लिए छ.ग. शासन द्वारा समय-समय पर जारी विशेष छूट इन नियुक्तियों के लिए भी लागू होगी।

क्रमशः 2

शैक्षणिक योग्यता एवं वेतनमान :-**1. सहायक ग्रेड 03 पद हेतु -**

- (अ) वेतनमान - सातवे वेतन मान से वेतन मैट्रिक्स लेवल 04
(ब) शैक्षणिक योग्यता -

1. मान्यता प्राप्त शिक्षा मण्डल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण
अथवा

पुरानी हायर सेकण्डरी उत्तीर्ण के साथ मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालय से किसी भी विषय के स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण

2. मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एन्ट्री आपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाण पत्र तथा

3. कम्प्युटर में हिन्दी टायपिंग का 5000 (key) डिप्रेशन प्रति घंटा की गति। (गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जावेगी।)

2. भृत्य पद हेतु -

(अ) वेतनमान - कलेक्टर दर

(ब) शैक्षणिक योग्यता - पांचवी कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण

चयन प्रक्रिया :-**1. सहायक ग्रेड 03 पद हेतु -**

रोजगार कार्यालय के माध्यम से प्राप्त अभ्यर्थियों की सूची अनुसार समस्त अभ्यर्थियों को डांक एवं दूरभाष द्वारा सूचना जारी कर दिनांक 28.05.2023 को लाइवलीहुड कॉलेज रामपुर कोरबा में समस्त शैक्षणिक दस्तावेज एवं कम्प्युटर प्रमाण पत्र जाति, निवास, रोजगार पंजीयन, प्रमाण पत्र सहित बुलाया जाकर उसी दिन अभ्यर्थियों के शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांक के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जावेगी तथा उसी दिन दिनांक 28.05.2023 को मेरिट सूची के 1:5 के आधार पर अभ्यर्थियों का कौशल परीक्षा आयोजित किया जावेगा।

अतः कुल 100 प्रतिशत में से अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता का अधिभार (वेटेज) 40 प्रतिशत, कौशल परीक्षा का अधिभार (वेटेज) 60 प्रतिशत होगा। शैक्षणिक अर्हता एवं कौशल परीक्षा में प्राप्त अंकों के योग के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जावेगी तथा मेरिट सूची के आधार पर वर्गवार अभ्यर्थियों का चयन किया जावेगा।

2. भृत्य पद हेतु -

रोजगार कार्यालय के माध्यम से प्राप्त अभ्यर्थियों की सूची अनुसार समस्त अभ्यर्थियों को डांक एवं दूरभाष द्वारा सूचना जारी कर दिनांक 25.05.2023 को औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (बालक) रामपुर कोरबा में समस्त शैक्षणिक दस्तावेज एवं जाति, निवास, रोजगार पंजीयन प्रमाण पत्र सहित बुलाया जाकर कुल 100 प्रतिशत में से अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता के मेरिट के आधार पर दिनांक 25.05.2023 को मेरिट सूची तैयार की जावेगी तथा उसी दिन दिनांक 25.05.2023 को मेरिट सूची के आधार पर वर्गवार अभ्यर्थियों का चयन किया जावेगा।

भर्ती के संबंध में सामान्य शर्तें एवं दिशा निर्देश :-

1. संविदा भर्ती नियम 2012 में निहित प्रावधान अनुसार सेवानिवृत्त कर्मचारी को जो निर्वाचन कार्य कर चुके हैं ऐसे कर्मचारी को वरीयता दी जावेगी।


1. आवेदक की आयु दिनांक 01.01.2023 की स्थिति में न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 35 वर्ष। अजा/अजाजा/अपिव, महिला एवं संविदा पर नियुक्त अभ्यर्थी को राज्य शासन द्वारा समय समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुरूप आयु सीमा में छूट की पात्रता होगी।


2. संविदा मानदेय/कलेक्टर दर :- संविदा/सेवा अवधि के दौरान प्रतिमाह एकमुस्त मानदेय देय होगा तथा कलेक्टर दर जिले में निर्धारित कलेक्टर दर के अनुसार होगा। इसके अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार की भत्ता/सुविधा देय नहीं होगा।
3. उपरोक्त संविदा अवधि 01.06.2023 से 30.11.2023 तक (केवल छः माह) तक के लिए होंगी उसके पश्चात् यह पद स्वतः समाप्त हो जायेंगे।
4. चयनित अभ्यर्थी को कार्य में उपस्थित होने के पश्चात् किसी भी समय नोटिस देकर संविदा नियुक्ति समाप्त की जा सकती है, इसी प्रकार उक्त अभ्यर्थी को त्याग पत्र देने के पूर्व एक माह पहले सूचना देना होगा अन्यथा उनके द्वारा एक माह का वेतन जमा किया जावेगा।
5. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के अभ्यर्थियों को स्थाई जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
6. उक्त संविदा पद अस्थानान्तरणीय होगा तथा नियुक्ति आदेशानुसार पदस्थापना स्थल में उपस्थिति देना अनिवार्य होगा। निर्धारित समय व पदस्थापना स्थल में अपनी उपस्थिति नहीं देने की स्थिति में चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति स्वतः निरस्त हो जावेगी।
7. उपरोक्त नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई है। अभ्यर्थी द्वारा नियमित होने का किसी भी प्रकार का दावा नहीं किया जा सकता है।
8. आवेदक को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
9. आवेदक का रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है।
(अपर कलेक्टर महोदय द्वारा अनुमोदित)

पृ. क्रमांक / 3-114/स्था./जि. निर्वा./2023

प्रतिलिपि:-

1. कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़ पुराना मंत्रालय परिसर रायपुर को सूचनार्थ।
2. जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, एन आई सी जिला कोरबा की ओर प्रति के साथ प्रेषित है। जिले के वेबसाइट www.korba.gov.in में अपलोड करना सुनिश्चित करें।
3. सहायक संचालक, जनसंपर्क विभाग जिला कोरबा की ओर स्थानीय समाचार पत्रों में सूचना प्रकाशन हेतु प्रेषित।


उप जिला निर्वाचन अधिकारी
जिला-कोरबा (छ.ग.)
कोरबा, दिनांक 17/05/2023


उप जिला निर्वाचन अधिकारी
जिला-कोरबा (छ.ग.)